न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 43/2011
अन्तर्गत धारा :– 175 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1. सोला पिता रामा रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मोहन पिता मांगु रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता मांगु रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बदामी पिता मांगु रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. दलूड़ी बेवा मांगु रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. बगतावर पिता प्रताप रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. नारू पिता प्रताप रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. अमरचन्द पिता भेरा रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. रामचन्द्र पिता भेरा रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. जयसिंह पिता भेरा रेगर निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. प्रबंधक सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि0 भीलवाड़ा शाखा गंगापुर
12. रोशनलाल पिता अम्बालाल ढोली निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
13. रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल ढोली निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
14. सज्जनसिंह पिता गोकलसिंह राजपूत निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
15. माधवलाल पिता नाथू जाट निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– पेरोकार सरकार
अधिवक्ता विपक्षीगणः– श्री जगदीश चन्द्र व्यास

निर्णय दिनांक 04.02.2020

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0एक्ट 1955 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 1524 रकबा 0.16 हे0, 1526 रकबा 0.10 हे0, कुल किता 02 रकबा 0.26 हे0 राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण संख्या 1 से 10 के नाम दर्ज है । प्रमाण में जमाबंदी नकल 2063 से 2066 संलग्न है।

यह कि उक्त आराजियात वर्तमान में विपक्षी 1 से 10 के नाम दर्ज है। किन्तु मौके पर विपक्षी संख्या 12 से 15 का आंशिक रकबे पर पृथक्–पृथक् कब्जा होकर पक्का निर्माण नोहरे एवं बाउन्ड्रीवाल बनाकर निर्माण कर रखा है। तथा आंगनबाड़ी केन्द्र साक्षरता भवन एवं रामदेवजी का चबुतरा बना हुआ है।

यह कि विपक्षीगणों द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्टाम्प से विपक्षी संख्या 12 से 15 को विक्रय कर कब्जा सोंपा है। राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमियां कृषि भूमि दर्ज है। किन्तु मौके पर कृषि से अकृषि उपयोग किया जा रहा है। जो अवैध होकर नियमानुसार नहीं है। तथा न ही भू – रूपान्तरण करवाया गया है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियो द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को भूमि विक्रय करना एवं अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार द्वारा हस्तानान्तरण होने से अवैध है।

यह कि उक्त हस्तानान्तरण अवैधानिक होकर नियम विरूद्व है तथा धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 का उल्लंघन होने से उक्त भूमि धारा 175 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत बिलानाम योग्य है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज कराने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दिनांक 23.09.2011 को दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को उक्त प्रकरण में सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षी संख्या 6, 7, 9 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थि इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5,8, व 12 लगायत 15 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11—151 सी0पी0सी0 का दिनांक 17.08.2007 को पेश किया जिसे निर्णय दिनांक 15.11.2011 को खारिज किया जा चुका है। विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब पेश कर कोई कार्यवाही नहीं चाही । तथा शेष विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बंद की जाती है। पेरोकार सरकार एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया । विपक्षीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना — पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बाद बहस व प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के मैंने गहन मनन किया। जिससे निम्न निष्कर्ष निकलता हैः—

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में यह अंकित नहीं किया कि विपक्षीगणों ने विवादित आराजी नं0 1524 एवं 1526 के कितने — कितने रकबे पर पक्का निर्माण कर रखा हैं कितना रकबा अवैध विक्रय कर एवं निर्गाण से प्रभावित है प्रार्थी ने सिद्ध नहीं किया है।
2. दौरोने प्रकरण आराजी नं0 1524 एवं 1526 के बंटवाड़ा होकर खाते अलग—अलग हो चुके है।
3. वर्तमान खाता नकल के अवलोकन से जाहिर हैं कि विपक्षी संख्या 1, 2, 5, 7 का नाम खाते में दर्ज नहीं है।

उक्तानुसार तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः

—: आदेश :—

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर टी एक्ट 1955 का पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
24/07/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.07.24 17:44:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: